



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-31032022-234710
CG-DL-E-31032022-234710

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1452]
No. 1452]

नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 30, 2022/चैत्र 9, 1944
NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 30, 2022/CHAITRA 9, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 मार्च, 2022

का.आ. 1495(अ).— केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 107(अ) दिनांक 10 जनवरी 2022, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खण्ड- 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा पश्चिम बंगाल राज्य के पश्चिम मेदिनीपुर जिले में केंद्र सरकार ने आपातकालीन लैंडिंग सुविधा के विकास के निर्माण के लिए उक्त अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची में निर्दिष्ट भूमि का अधिग्रहण करने के अपने आशय की घोषणा की। पश्चिम बंगाल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 60 (बाद में एन एच -16 कहा जाता है) पर बालासोर से खड़गपुर खंड (लगभग 5.00 किलोमीटर) पर राजमार्ग एन एच - 60 के कि.मी. 83.4 से कि.मी. 88.4 तक के राष्ट्रीय राजमार्ग के आपातकालीन लैंडिंग सुविधा के विकास के निर्माण के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और, उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उप-धारा (3) के अधीन तारीख 22 जनवरी 2022 को “वर्तमान” और “टाइम्स ऑफ इंडिया” दोनों में प्रकाशित किया गया था;

और सक्षम प्राधिकारी द्वारा किसी व्यक्ति से कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप-धारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप-धारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी।

अनुसूची

पश्चिम बंगाल राज्य के पश्चिम मेदिनीपुर जिले में NH-60 के कि.मी. 83.400 से कि.मी.88.400 के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण:-

राज्य का नाम: पश्चिम बंगाल			जिले का नाम: पश्चिम मेदिनीपुर		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
	तालुक का नाम: नारायणगढ़				
	गांव का नाम: गोविंदपुर (जेएल नंबर- 419)				
1	54(P)	निजी	जल	0.0106706	आशारनी पंडित, पति-मदन . ()
2	54(P)	निजी	जल	0.0120786	निरंजन दास, पिता- अमूल्य . ()
3	54(P)	निजी	जल	0.0089957	राधा कांता दान, पिता - रामचंद्र ()
4	54(P)	निजी	जल	0.0051396	लक्ष्मी कांता दान, पिता- रामचंद्र . ()
5	54(P)	निजी	जल	0.0091245	इलारानी शील, पति- शशांक ()
6	61(P)	निजी	जल	0.0127883	लक्ष्मीकांत सिंह, पिता - ज्योति ()
7	61(P)	निजी	जल	0.0127883	देवी सिंह, पति- लक्ष्मीकांत ()
8	62(P)	निजी	जल	0.0099361	हरि पद दास, पिता- अनंत ()
9	62(P)	निजी	जल	0.0496914	जतिन कोटक, पिता - चंद्रकांत

					()
10	62(P)	निजी	जल	0.0496805	गोपाल अग्रवाल, पिता - महादेव ()
11	64(P)	निजी	जल	0.088102	हबू सिंह, पिता - कूशल ()
12	65(P)	निजी	जल	0.0437666	सुसंत दास, पिता - अतुल ()
13	65(P)	निजी	जल	0.0437538	भूपेन चंद्र पात्र, पिता - राखल चंद्र ()
14	65(P)	निजी	जल	0.0410915	मिलन बर, पिता- ईश्वर, ()
15	66(P)	निजी	जल	0.1012227	मिथुन सिंह, पिता- कुशल, ()
16	66(P)	निजी	जल	0.0244797	श्याम सिंह, पिता - राजेन, ()
17	66(P)	निजी	जल	0.0244797	संता सिंह, पति - श्याम ()
18	67(P)	निजी	जल	0.0133752	सुरेश मांझी, पिता - पंचानन ()
19	67(P)	निजी	जल	0.0133751	धनंजय माजी, पिता - भागवत ()
20	71(P)	निजी	जल	0.0751922	गुरबा सिंह, पिता-मधु, ()
21	74(P)	निजी	जल	0.0009284	कनाई मंडल, पिता- बिजय ()
22	74(P)	निजी	जल	0.0077321	मृत्युंजय मांझी, पिता- कनाईलाल ()
23	81(P)	निजी	जल	0.102185	संध्या रानी प्रधान, पिता- केदार ()
24	82(P)	निजी	जल	0.0018616	लक्ष्मी कांता राणा, पिता-भागवत ()
25	86(P)	निजी	जल	0.0065561	सुमित्रा जाना, पति- अशोक कुमार ()

26	86(P)	निजी	जल	0.0065556	जीवन कर, पिता - सीतानाथ ()
			कुल	0.7755509	

[फा. सं. ELF/LA/NHAI/PIU(KGP)/2021-22/3D]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 30th March. 2022

S.O. 1495(E).— Whereas by the Notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, Number S.O. 107(E) dated 10th January 2022, published in Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said Notification for Construction of Development of Emergency Landing Facility on NH from Km. 83.400 to Km. 88.400 on Balasore to Kharagpur section (Approximately 5.00 Km.) on National Highway No. 60 (hereinafter called the NH-16) in the state of West Bengal.

And whereas the substance of the said notification has been published in “The Times of India” dated the 22nd January 2022 and in “Bartaman” dated 22nd January 2022; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas no objection has been received from any person by the Competent Authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Competent Authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the Competent Authority and in exercise of the powers conferred by sub-section(1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired with or without structure falling within the stretch of land from Km. 83.4 to Km. 88.4 on NH 60 (New NH 16) of Balasore to Kharagpur Section in the district of Paschim Medinipur, WEST BENGAL.

State: WEST BENGAL			District: Paschim Medinipur		
Sr. No.	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area in Hectare	Name of the Land Owner/Interested Person Part Survey No.
1	2	3	4	5	6
	Taluk: Narayangarh				
	Village: Gobindapur (JL No- 419)				
1	54(P)	Private	Jal	0.0106706	Asharani Pandit,W/o-Madan .
2	54(P)	Private	Jal	0.0120786	NIRANJAN DAS S/O AMULYA .
3	54(P)	Private	Jal	0.0089957	RADHA KANTA DAN S/O RAMCHANDRA .
4	54(P)	Private	Jal	0.0051396	LAKSHMI KANTA DAN S/O

					RAMCHANDRA .
5	54(P)	Private	Jal	0.0091245	ILARANI SHIL W/O SHASANKA .
6	61(P)	Private	Jal	0.0127883	Lakshmikanta Singh, S/o- Jati .
7	61(P)	Private	Jal	0.0127883	DEBI SINGH W/O LAKSHMIKANTA .
8	62(P)	Private	Jal	0.0099361	Haripada Das, S/o- Ananta .
9	62(P)	Private	Jal	0.0496914	JATIN KOTAK ,S/O CHANDRA KANTA .
10	62(P)	Private	Jal	0.0496805	GOPAL AGARWAL ,S/O MAHADEB .
11	64(P)	Private	Jal	0.088102	Habu Singh, S/o- Kushal
12	65(P)	Private	Jal	0.0437666	SUSANTA DAS S/O ATUL ,
13	65(P)	Private	Jal	0.0437538	BHUPEN CHANDRA PATRA S/O RAKHAL CHANDRA ,
14	65(P)	Private	Jal	0.0410915	MILAN BAR , S/O ISHWAR,
15	66(P)	Private	Jal	0.1012227	Mithun Singh, S/o- Kushal,
16	66(P)	Private	Jal	0.0244797	Shyam Sing, S/o- Rajen
17	66(P)	Private	Jal	0.0244797	Santa Sing, W/o- Shyam
18	67(P)	Private	Jal	0.0133752	Suresh Majhi, S/o- Panchanan,
19	67(P)	Private	Jal	0.0133751	DHANANJOY MAJI S/O BHAGABAT
20	71(P)	Private	Jal	0.0751922	Gurba Singh, S/o-Madhu,
21	74(P)	Private	Jal	0.0009284	Kanai Mandal, S/o- Bijoy,
22	74(P)	Private	Jal	0.0077321	Mrityunjay Majhi, S/o- Kanailal
23	81(P)	Private	Jal	0.102185	Sandhya Rani Pradhan, D/o- Kedar,
24	82(P)	Private	Jal	0.0018616	Lakshmi Kanta Rana, S/o-Bhagbat,
25	86(P)	Private	Jal	0.0065561	Sumitra Jana, W/o- Ashok Kumar,
26	86(P)	Private	Jal	0.0065556	JIBAN KAR S/O SITANATH
			TOTAL	0.7755509	

[F. No. ELF/LA/NHAI/PIU(KGP)/2021-22/3D]
RAJESH GUPTA, Director